प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 30.07.2025**

दिनांक 27.07.2025 को थाना रूरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरगांव बुजुर्ग में हुई हत्या की घटना में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 28.07.2025 को वादी श्री देवी प्रसाद पुत्र स्व० महावीर कोरी निवासी ग्राम सरगांव बुजुर्ग थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 27.07.2025 को कमलेश कुरील पुत्र स्वं0 गंगादीन, बलजीत पुत्र कृष्ण पाल, विक्रमपाल पुत्र कृष्णपाल निवासी गण सरगांव बुजुर्ग थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा एक राय होकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज देते हुये लाठी डंडो से मारपीट करना तथा उसके भाई छोटेलाल उम्र लगभग 35 वर्ष की हत्या कर देना, के सम्बन्ध में थाना रूरा पर मु0अ0सं0 247/2025 धारा 3(5)/103(1)/352 भारतीय न्याय सहिंता 2023 व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. कमलेश कुरील पुत्र स्व0 गंगादीन 2. बलजीत पुत्र कृष्ण पाल 3. विक्रम पाल पुत्र कृष्ण पाल निवासीगण सरगांव बुजुर्ग थाना रूरा जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में थाना रुरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यावही करते हुए आज दिनांक 30.07.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त कमलेश पुत्र स्व0 गंगादीन कुरील उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम सरगांव बुजुर्ग थाना रुरा जनपद कानपुर देहात को मण्डी समिति कस्बा रुरा नहर पुलिया से 10 मीटर आगे अकबपुर की ओर समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त कमलेश उपरोक्त ने आलाकत्ल पावा/डण्डा की शिनाख्त की है, जिसे फॉरेंसिक टीम द्वारा घटना के दिनांक 27.07.2025 को घटनास्थल से बरामद किया गया था। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर तलाश की जा रही है, शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण –

कमलेश पुत्र स्व0 गंगादीन कुरील उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम सरगांव बुजुर्ग थाना रुरा जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं अनुसूचित जाति (चमार) का व्यक्ति हूं। मैं खेती किसानी का काम करता हूं। दिनांक 27.07.2025 की शाम को मैं गाँव के देशी शराब के ठेके पर शराब लेने गया था तो गाँव का छोटेलाल वहीं पर बैठा था, उसने मुझसे गिलास माँगा तो मैंने मना कर दिया, इस पर छोटेलाल ने मुझे गाली दे दी, तो मैंने छोटेलाल को एक हाथ मारा तो छोटेलाल ने मुझे धक्का दे दिया और मैं वहीं पास में पड़ी टेबल पर गिर गया था, जिससे टेबल का पावा टूट गया था। मैंने भी गुस्से में पावा उठा लिया था, जब वहाँ से सब चले गये लेकिन छोटेलाल वहीं पर बैठा था, तो मैं पीछे से गया और पावा उसके सर में मार दिया, जब वह गिर गया तो मैंने कई पावा/डण्डा मारे। जिसके बाद मुझे सेल्समैंन दीपक व टुन्नू दीक्षित ने मेरे हाथ में डण्डा लिये देख लिया था, तो मैं डण्डा/पावा वहीं पर फेंक कर भाग गया था। बाद में मैंने सुना कि छोटे लाल की मृत्यु हो गयी है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रूरा पुलिस